

वाराणसी विकास क्षेत्र, वाराणसी

अनुमति-पत्र

सं० ५९६/न० अ० वि०

दिनांक 12-3-15

गृह निर्माणार्थ अनुमति-पत्र


यह अनुमति केवल उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिए कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर मकान बने इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री सुशीला देवी, अर्जुन
संजय त्रिपाठी व श्री दीपक सिंह

पिता/पति का नाम श्री आराजी संख्या 516, 515/2, 517/शौजा ककर सेठा
521/1 व 521/2
वार्ड 521/1 व 521/2 में नक्शे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, उपाध्यक्ष के चिह्नित भवन
चित्र अनुसार निर्माण अथवा पुनः निर्माण किया जाय।

गुहर

दिनांक.....20



नगर अभियंता (नवेल)
कले उपाध्यक्ष
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
वाराणसी विकास प्राधिकरण
वाराणसी

नोट : 1- यह स्वाकृति पत्र केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए है। यदि इमारत आज्ञानुकूल नहीं बनी तो उपाध्यक्ष द्वारा उसे गिरवाया जा सकता है अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जाये। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत बिना उपाध्यक्ष की अनुमति प्राप्त किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय इमारत को उपाध्यक्ष द्वारा हटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के खर्च का भार उस इमारत बनाने वाले से वसूल किया जायेगा।

2- इस अनुमति पत्र में सड़क, गली या नाली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़ा, सीढ़ी, झॉप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर से नये निर्माण की स्वीकृति चाहे उसके साथ नक्शे में दिखाई भी हो, नहीं प्रदान की जायेगी। इन निर्माणों के लिए प्राधिकरण अधिनियम की धारा 293 के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3- मकान निर्माण से यदि गाली, सड़क की घटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक ली गई हो) को हानि पहुँचे तो यह गृह स्वामी को गृह तैयार हो जाने पर..... दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा हो तो पहिले उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था में जिससे प्राधिकरण को सन्तोष हो जावे, में कर देना होगा।

4- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के नियम 1970) का उल्लंघन किसी दशा में न होना चाहिए। यदि उपाध्यक्ष की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5- प्रार्थी को नियमानुसार उपाध्यक्ष को मकान के पूर्ण हो जाने की सूचना मकान समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात् 15 दिन के अन्दर देना होगा यदि सूचना दी गई तो यह समझा जायेगा कि मकान पूर्ण हो गया।

6- यह अनुमति यदि किसी कारणवश नजूल, प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गई हो तो वैध न मानी जायेगी और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्मित भवन आदि हटा दे जिसका कोई हर्जाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इसलिए भूमि स्वामी अपनी भूमि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण

शर्तें:-

- 1:- पत्र को रचने पर 18 पेड़ लगाना होगा।
- 2:- पत्र को विद्युत - बिद्याग व अग्नि शमन बिद्याग के शर्तों का पालन करना होगा।
- 3:- पत्र को अपने शपथ- पत्र का पालन करना होगा।
- 4:- यह सन्नायित्व व राक्षस से सम्बन्धित कोई वाद-विवाद सम्बन्ध में प्रकाश में आने पर पत्र गण का मानचिह्न स्वतः निरस्त माना जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी शपथ-कर्ता गणों की होगी।
- 5:- पत्र गणों को शासनादेश संख्या - 3338/आड-1-11-80 विविध/2010 दिनांक:- 26 सितम्बर 2011 में लिखित मानकों शर्तों स्वयं निदेशों का अनुपालन करना होगा।
- 6:- सम्बन्ध में बिद्याग द्वारा आपको में कोई देयता बनती है तो उसे आप को देय होगा।



नगर अभियन्ता (मंत्रालय)
विकास प्राधिकरण, वाराणसी।